भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs.20000 INDIA NON JUDICIAL Rs.20000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 232075

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1.	भूमि का प्रकार	: कृषि
2.	परगना	: बिजनौर
3	ग्राम	: हसनपुर खेवली
4.	सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं0)	: भूमि खसरा संख्या–202
5.	मापन की इकाई	: हैक्टेअर
6.	विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल	: 0.210 हैक्टेअर

15000 रु.　भारतीय गैर न्यायिक　15000 रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये　RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000　भारत INDIA　Rs.15000

05BB 545582

7.	सम्पत्ति का प्रकार	:	कृषि
8.	पेड़ों का मूल्यांकन	:	नहीं
9.	बोरिंग / कुआं / अन्य	:	नहीं
10.	प्रतिफल की धनराशि	:	रू0 3,89,025/-
11.	मालियत	:	रू0 2,88,750/-
12.	स्टाम्प	:	रू0 39,000/-

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

चौहद्दी

खसरा नं0 202

पूरब	: खसरा संख्या–199
पश्चिम	: खसरा संख्या–203
उत्तर	: खसरा संख्या–204
दक्षिण	: खसरा संख्या–198, 199

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये — ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 — Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

प्रथम पक्ष की संख्या–01 द्वितीय पक्ष की संख्या–01

विक्रेता का विवरण	:	क्रेता का विवरण
राम लाल पुत्र कुंज बिहारी निवासी ग्राम हसनपुर खेवली, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ व्यवसाय – कृषि	:	वीरेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र श्री राम किशन वर्मा निवासी– एल–1/111, विनय खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ व्यवसाय – कृषि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 085173

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख राम लाल पुत्र कुंज बिहारी निवासी –ग्राम हसनपुर खेवली, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हें आगे विक्रेता कहा गया है, एवं गौरेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र श्री राम किशन वर्मा निवासी– एल–1/111, विनय खण्ड, गोमती नगर लखनऊ जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH E 085174

यह कि विक्रेता भूमि खसरा संख्या–202 रकबा 0.630 हेक्टेयर का 1/3 भाग यानि रकबा 0.210 हेक्टेयर, स्थित ग्राम– हसनपुर खेवली, परगना– बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ, की मालिक, काबिज व काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित कम्प्यूटरीकृत खाता खतौनी क्रम संख्या 14 के अनुसार उक्त भूमि विक्रेता के नाम का अंकन एतदद्वारा राजस्व अभिलेखों में हो गया है, उक्त भूमि विक्रेता को विरासत में मिली है विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने पूरे होशो हवास में बिना

किसी जोर जबरदस्ती या दबाव के, क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेता यह घोषित करती है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कही रहन, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त तथ्यों के फलस्वरूप रु० 3,89,025/- (रुपया तीन लाख नवासी हजार पच्चीस मात्र) के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करता है, तदानुसार उक्त विक्रेता उक्त

क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेता उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या लाभ से निकल जावे तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल,

समस्त सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थित में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगा।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम रुस्तमपुर खेतनी अर्न्तराष्ट्रीय क्षेत्र के निर्दिष्ट ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सर्किल रेट रू0 13,75,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.210 हेक्टेयर की मालियत रू0 2,88,750/- होता है, चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 38,000/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई पेड़, कुआँ, तालाब व निर्माण आदि नहीं है, तथा 200 मी0

के आसपास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि शहीद पथ से लगभग एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय विलेख विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवें।

परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण

खसरा संख्या–202 रकबा 0.630 हेक्टेअर का 1/3 भाग यानि रकबा 0.210 हेक्टेअर, स्थित–ग्राम– हसनपुर खेवली, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

विक्रेता ने रू० 3,89,025/– (रूपया तीन लाख नवासी हजार पच्चीस मात्र) द्वारा चेक संख्या–139708 दिनांकित

[illegible]

5,000.00 [illegible] 2,000

[illegible]

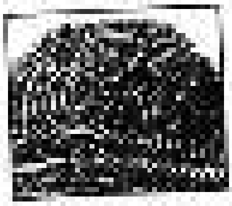

[illegible]

के.के. शुक्ला
उप निबंधक (प्रथम)
लखनऊ
[illegible]

[illegible]

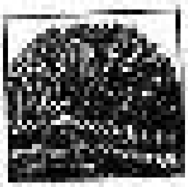

[illegible]

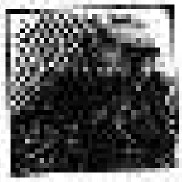

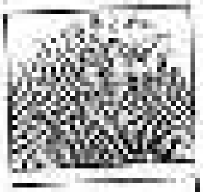

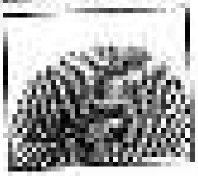

[illegible]

के.के. शुक्ला
उप निबंधक (प्रथम)
लखनऊ
[illegible]

13.12.2006 पंजाब नेशनल बैंक, शाखा। हजरतगंज, लखनऊ, क्रेता से प्राप्त किये।

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रू0 3,89,025/- (रुपया तीन लाख नवासी हजार पच्चीस मात्र) विक्रेता ने क्रेता प्राप्त किये तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करता है।

लखनऊ

दिनांक: 13.12.2006

गवाह

1. [illegible]

2. [illegible]

विक्रेता

क्रेता

टाईपकर्ता

(राम सनेही)

सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता

(सैय्यद मन्जर हुसैन)

एडवोकेट

Printer

Registration No 10632 Year : 2006 Book No. [illegible]

DIDI [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

रजिस्ट्रेशन अधिनियम–1908 की धारा 32–ए, के अनुपालन हेतु
फिंगर प्रिन्ट

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता का नाम व पता– [illegible]
[illegible]

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :–

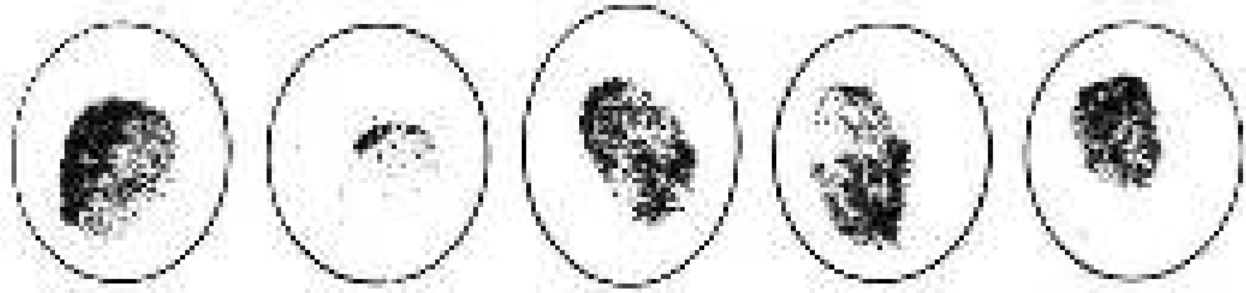

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :–

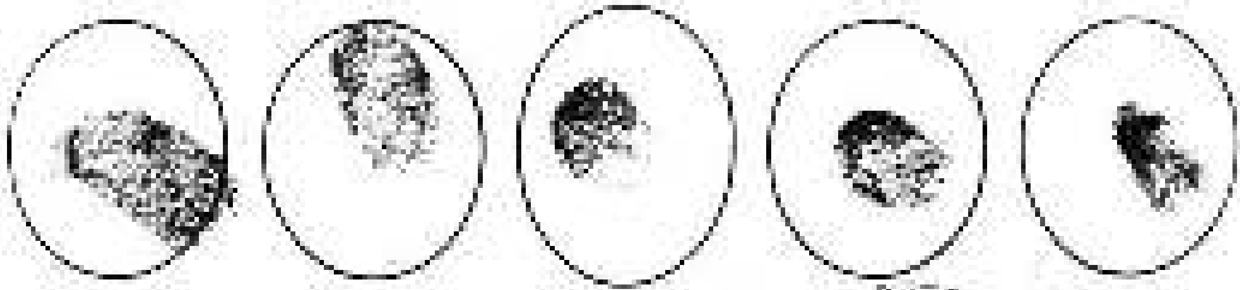

[illegible]
प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता /क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता / क्रेता का नाम व पता– [illegible]
[illegible]

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :–

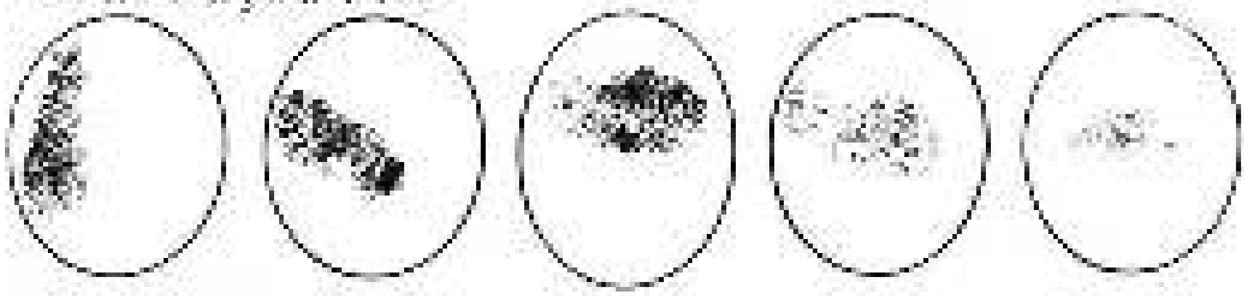

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह:–

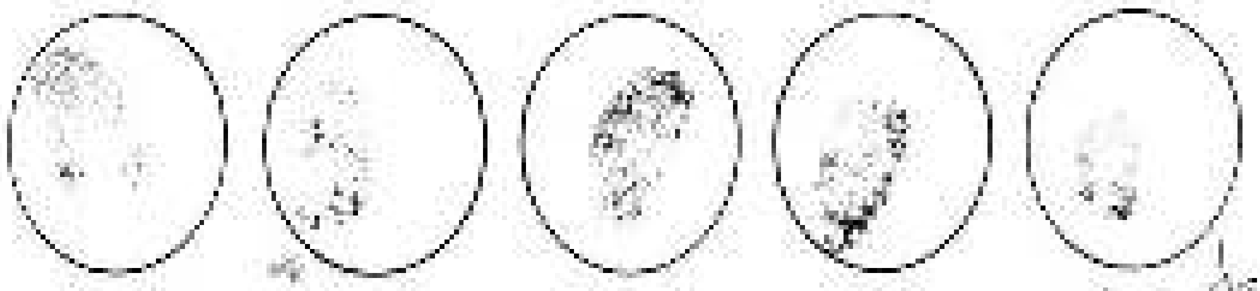

[illegible]

विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

[illegible]

Registration No.: 10632 Year: 2014 Book No.: 1

5501 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

नक्शा नजरी

ग्राम : हुसैनपुर खैरवली

खसरा संख्या– 202

जिला : [illegible]

क्रेता : [illegible]

विक्रीत सम्पत्ति के निकट स्थित अन्य सम्पत्तियों का विवरण

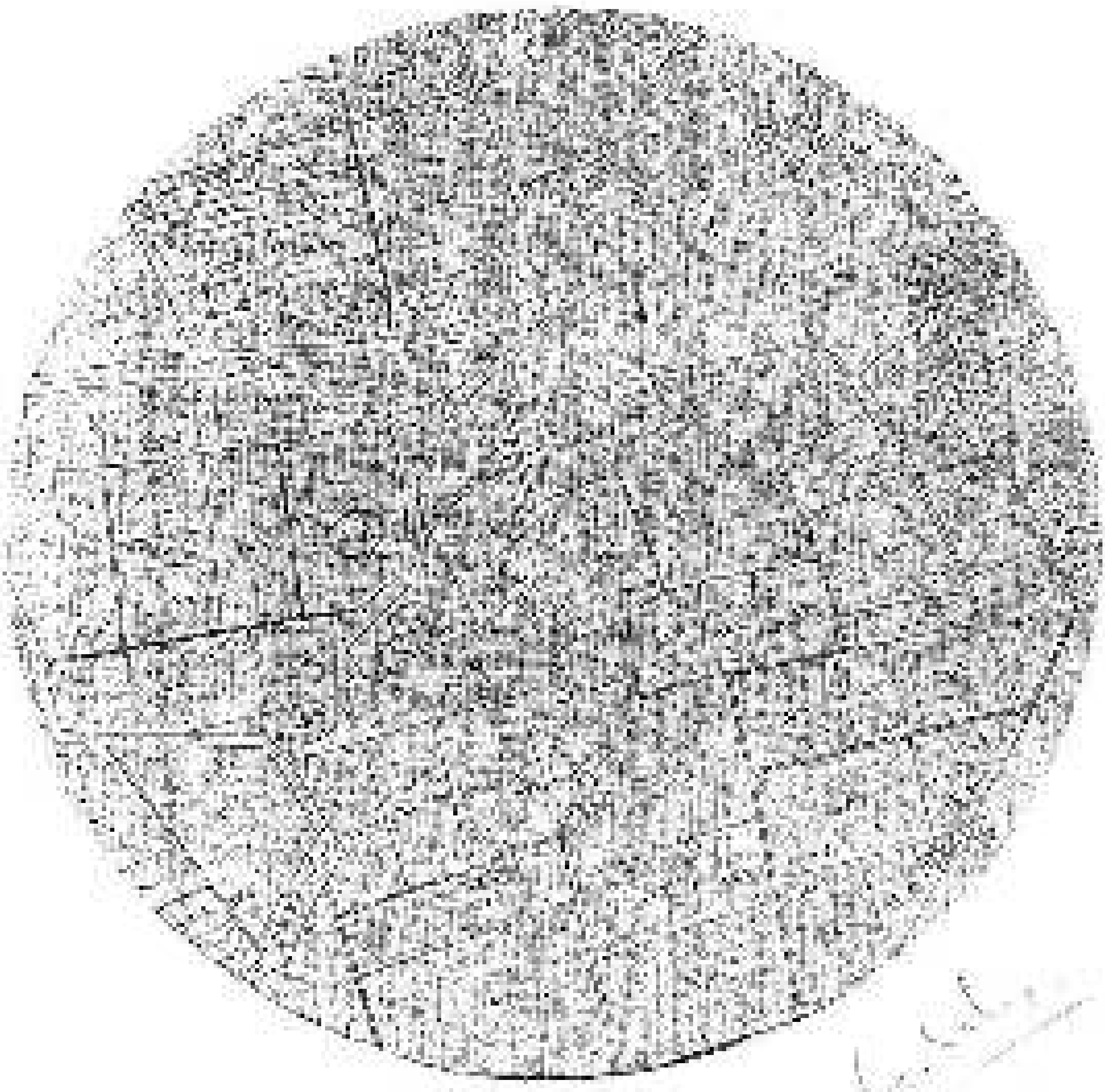

आज दिनांक **13/12/2006** को

बही सं **1** जिल्द सं **7982**

पृष्ठ सं **179** से **204** पर क्रमांक **10632**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

के.के. शुक्ला

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

13/12/2006